भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर केवल बारह प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षारता 74.4 प्रतिशत है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ले कर आज तक की यात्रा में देश की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में हुई प्रगति धीमी रही। इस समय में शिक्षा को लेकर कई चुनौतिया भी रही और कमियाँ भी रही हैं। विशेष कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी ज्यादे रही, जहां स्कूल की इमारत नहीं होती अथवा बारिश होने पर स्कूल पंहुचने की संभावना भी नही होती थी। दूर स्थानों पर स्कूल व सुविधा की कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त कर पाना काफी मुश्किल भरा था, आदिवासी, हाशिये पर धकेले गए लोगों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को शिक्षा की उचित व्यवस्था कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय था। नीति निर्माताओं ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की सुधार हेतु विभिन्न अधिनियम व कार्यक्रम यथा आपरेशन ब्लॅक बोर्ड, शिक्षा नीति 1968, 86 व 92, सर्व शिक्षा अभियान आदि को लागू किया। इन नीतियों के मूल्यांकन के बाद इनमें होने वाले कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। जिससे प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता यह उसका मौलिक अधिकार है तथा मानवाधिकार के अनुच्छेद 26 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों का मानवाधिकार भी है। इस अधिनियम को लागू हुए आज छ: वर्ष से अधिक हो गया है। इस लघु शोध के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की वास्तविकता व समस्याओं को तात्कालिक संदर्भ में जानने का प्रयास किया गया है।